डिस्ट्रीक्ट कोऑर्डिनेटर की भूमिका एवं कर्तव्य

डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर द्वारा जिलास्तर पर किए जाने वाले आयुश्मान भारत "निरामयम" योजना से सम्बन्धित समस्त कार्यो को सुगमता पूर्वक किया जाना है

डिस्ट्रिक्टकोऑर्डिनेटर द्वारा किऐ जाने वाले कार्य निम्नानुसार है:–

(i) डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को हर दो हफ्तों के अंतराल पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी से भेंट कर योजना से संबंधित समस्त कार्यो हेतु आंकलन कर एवं समस्याओं पर चर्चा कर निराकरण किया जाना है।

(ii) डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर द्वारा योजना के सुचारू संचालन हेतु समस्त सम्बध्द भासकीय चिकित्सालयों में IT से सम्बन्धित संरचना एवं संसाधनों की उपलब्धता एवं रखरखाव हेतु ISA से समन्वय स्थापित करना है।

(iii) भासकीय चिकित्सालयों में आयुश्मान मित्रों को पदस्थापना पदस्थ समस्त आयुश्मान मित्रों के प्र िक्षण एवं उनको कार्य के दौरान आने वाली समस्त समस्याओं निराकरण डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटरद्वारा किया जाना है।

(iv) जिला कार्यान्वयन इकाई से समय–समय पर समन्वय स्थापित कर योजना का सुचारू संचालन करवाना।

(v) जिले में निजी एवं भासकीय चिकित्सालयों की योजना के अर्न्गत सम्बध्दता हेतु ऑनलाईन आवेदन करने में सहायता करना।

(vi) आयुश्मान भारत " निरामयम" योजना के अंतर्गत सम्बध्द समस्त चिकित्सालयों में नियमित भ्रमण कर ISA के प्रोजेक्ट हेड को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रदान करी जाना

(vii) आयुश्मान भारत " निरामयम" योजना के अंतर्गत सम्बध्द निजी एवं भासकीय चिकित्सालयों हेतुIECएवं ब्रांडिग का निरीक्षण कर ISA के प्रोजेक्ट हेड को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रदान कि जाना

(viii) आयुश्मान भारत " निरामयम" योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों को आने वाली समस्याओं का समय सीमा में निराकरण करना एवं SHA/ISA पर पदस्थ अधिकारियों से समन्वय करना।

VIDAL HEALTH INSURANCE TPA PRIVATE LIMITED BHOPAL